

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

क्रमांक : रसद / FPS / विज्ञप्ति / 2025 / 5909

दिनांक - 19/06/25

आदेश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में कुल 58 रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक रसद / FPS / विज्ञप्ति / 2025 / 5886 दिनांक 17.06.2025 को जारी की गई थी।

उक्त विज्ञप्ति को अपरिहार्य कारणों से तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(आलोक झरवाल)
जिला रसद अधिकारी
जालोर

क्रमांक : रसद / FPS / विज्ञप्ति / 2025 / 5910 - 32

दिनांक - 19/06/25

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्री लुम्बाराम, माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षेत्र जालोर-सिरौही।
2. श्री जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जालोर।
3. श्री रमेश राणा जिला प्रमुख, जिला परिषद जालोर।
4. श्री छगनसिंह पुरोहित, विधायक महोदय, आहोर।
5. श्री समरजीतसिंह, विधायक महोदय भीनमाल।
6. श्री रतन देवासी, विधायक महोदय रानीवाडा।
7. श्री जीवाराम, विधायक महोदय सांचोर।
8. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
9. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
10. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय संभाग जोधपुर।
11. श्रीमान् जिला कलक्टर जालोर।
12. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर।
13. श्रीमान् उपनिदेशक, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जालोर को भेजकर निवेदन है कि जिले की वेबसाइट..... पर अपलोड करावें।
14. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला जालोर।
15. श्रीमान् ए.सी.पी.(उपनिदेशक) को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
16. श्रीमान् जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर को भेजकर निवेदन है कि उक्त आदेश निःशुल्क प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
17. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जिला जालोर।
18. समस्त तहसीलदार, जिला जालोर।
19. आयुक्त नगरपरिषद जालोर।
20. समस्त विकास अधिकारी/प्रधान, पंचायत समिति/सरपंच, ग्राम पंचायत जिला जालोर।
21. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका समस्त जिला जालोर।
22. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक जिला जालोर।
23. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/जिला कलक्टर कार्यालय जालोर।

(आलोक झरवाल)
19/06/25
जिला रसद अधिकारी
जालोर